

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:

12th Floor, Shakti Bhawan Extension,

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :

12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

रेक्स नं० : 0522-2287701 विन-4653

संख्या- / का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-03(45)/2001

दिनांक: 18-8-2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा भर्ती होकर कराई गई चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अस्पतालों की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत निम्नलिखित आदेशों (छायाप्रति संलग्न) को इस निगम में अंगीकृत किया जाता है:-

- 1- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2603-औसं-17 / पाकालि / 2022-11(5)ए०एस०/11 दिनांक 12.07.2022
- 2- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2604-औसं-17 / पाकालि / 2022-11(5)ए०एस०/11 दिनांक 12.07.2022
- 3- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2605-औसं-17 / पाकालि / 2022-11(5)ए०एस०/11 दिनांक 12.07.2022

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 3391 / का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-03(45)/2001 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 2- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(एम०पी०एस०), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 3- उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, जलपद निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वह आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
- 7- लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 8- चिकित्सा सलाहकार, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित हॉस्पिटल।
- 10- कट फाइल।

AECH0)

Qj-w
20/8/22

17/08/2022
(मो० अलीम)

उप सचिव (का० एवं प्रशा०)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: 12 जुलाई, 2022

संख्या:-2603-औसं-17/पाकालि/2022-11(5)ए०एस०/11

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र संख्या-8906/मु०अभि०/गा०क्ष०/गा०बाद दिनांक 21.03.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पंजीकरण प्राधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0914000022 दिनांक 02.06.2022, जो एक वर्ष हेतु वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद फोन नं०-0120-2657501, मो० नं०-7011285811 को दिनांक 01.06.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

- चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.06.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
- चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-
(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
(घ) कार्मिक का वेतनमान।
(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।
(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

- अस्पताल प्रबंधन को यह ध्यान पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

क्रमशः 2/-

16/7/2022

math

9/8

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के दीजकों में भोजन की मद हेतु रु0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

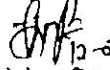
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या--2603--(1)/औसं-17/पाकालि/2022--तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद।
17. प्रबन्धक, नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेंटर, मोहन नगर, गाजियाबाद।
18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. कट फाइल।

आज्ञा से,

 12-07-22

(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

3009
16/12/2022

संख्या:-2604-औस-17/पाकालि/2022-11(5)ए०एस०/11

दिनांक: 12 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र संख्या-8906/मु०अमि०/गा०क्ष०/गा०बाद दिनांक 21.03.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पंजीकरण प्राधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0914000008 दिनांक 21.05.2022, जो एक वर्ष हेतु वैध है। के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा क्लीयरमेडी हॉस्पिटल एण्ड कैंसर सेण्टर, एच०सी०-1, सेक्टर-15, वसुंधरा, गाजियाबाद फोन नं०-0120-4888000, मो० नं०-8750559089 को दिनांक 20.05.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार) 29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औस/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.06.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

5. अस्पताल प्रबंधन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

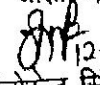
क्रमशः 2/-

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:- 2604-(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
 4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
 5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं कैस्को, कानपुर।
 7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अम्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
 11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/वित्त/कारपोरेट टैक्स) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 14. प्रबन्धक, क्लीयरमेडी हॉस्पिटल एण्ड कैंसर सेण्टर, एच0सी0-1, सेक्टर-15, वसुंधरा, गाजियाबाद।
 15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद।
 17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
 19. कट फाइल।

आज्ञा से,

 (लोकेन्द्र सिंह)
 कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-2605-औस-17/पाकालि/2022-11(5)ए०एस०/11

दिनांक: 12 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्र संख्या-8906/मु०अभि०/गा०क्षे०/गा०बाद दिनांक 21.03.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पंजीकरण प्राधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण दिनांक 04.06.2022, जो एक वर्ष हेतु वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा ली क्रेस्ट हॉस्पिटल, प्लॉट नं०-आईएनएस-13, सेक्टर-4, नियर बुद्ध चौक वसुन्धरा गाजियाबाद फोन नं०-0120-4723333 को दिनांक 03.06.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औस/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.06.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

5. अस्पताल प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

क्रमशः 2/-

Sri Ram Nath

Dr. Ram Nath

8/7

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मदद हेतु रु० 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-2605-(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसमि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉय समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/वित्त/कारपोरेट टैक्स) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, ली क्रैस्ट हॉस्पिटल, प्लॉट नं०-आईएनएस-13, सेक्टर-4, निगर बुद्ध चौक वसुन्धरा गाजियाबाद।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, उ०प्र० शासन, गाजियाबाद।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. कट फाइल।

आज्ञा से,



(लोकेन्द्र सिंह)

कार्मिक अधिकारी